(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 664–तीन/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्र. 182/1998–99/निगरानी

श्रीमती कुमकुम बाई पुत्री श्री रमाशंकर
निवासी ग्राम अजरोडा तहसील बमोरी
जिला गुना म0प्र0 .....आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/5/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार बमौरी जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 105/अ–19/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 10–3–1992 को ग्राम अजरौडा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 187/1/3 रकबा 1.045 हेक्टेयर का व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया गया । उक्त व्यवस्थापन में अनियमितता पाते हुये कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 8–3–99 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश आदेश निरस्त

किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–2005 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है इसलिये इसी आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही के लिये 180 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार न्यायालय का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने के पश्चात् आवेदिका को कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जबकि सूचना जारी कर जबाव लेकर उस पर विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा इस आधार पर व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया है कि आवेदिका की शादी वर्ष 1984 में हो गई थी, जबकि आवेदिका की शादी वर्ष 1994 में हुई है । उनके द्वारा कलेक्टर न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि कलेक्टर न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया गया था, अतः कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और उनके आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बंटन में गंभीर अनियमितताएं की गई है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आदेश

दिनांक 8–3–1999 को निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में आयुक्त न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त न्यायालय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर